

28/4/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
अनु- 1 वादी की रुक-रुककर
तीन बार आवाजें लगायी गई,
परन्तु शाम 5 बजे तक न तो
वादी और न ही उनकी और
से कोई प्लीडर उप- हुआ।

अतः पत्रावली की अदम हाजरी,
अदम पेशी में शोरिज किये
जाने के आदेश पदान किये जाते
हैं। पत्रावली फौजल सुमा 2 टोक, 2
रुम नम्बर से कम टोक, दायि
दफतर ही।